



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022024-252284
CG-DL-E-21022024-252284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 780]
No. 780]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2024/फाल्गुन 2, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2024

सं. 14 /2023-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 817(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1), के साथ पठित धारा 3, और धारा 5 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्न दी गई सारणी के कॉलम 4 में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों कि शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व को सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित नोटिसी के संदर्भ में, कॉलम 2 में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसो के न्यायनिर्णयन उद्देश्य हेतु नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिसी का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का नाम	नियुक्त की गयी साधारण न्यायनिर्णयन प्राधिकरणा
(1)	(2)	(3)	(4)
रोयल कनिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	(i) एस सी एन सं. एस/3-Misc- 149/2022-23-CRC-II-ACC दिनांक 04.07.2023	(i) सीमा शुल्क CRC -II, प्रतिदाय के सहायक आयुक्त, ए ए सी सी, मुंबई	सीमा शुल्क गुप 1/1ए, के उप आयुक्त, जे एन सी एच, मुंबई।

	(ii) एस सी एन सं. 2456/2022- 23/DC/Gr.1/1A/NS- 1/CAC/JNCH दिनांक 14.03.2023	(ii) सीमा शुल्क ग्रुप 1/1ए, के उप आयुक्त, जे एन सी एच, मुंबई	
--	---	--	--

[फा. सं. 466/62/2023 -सीमा शुल्क.V]

मेघा बंसल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st February, 2024

No. 14/2024-Customs (N.T.)

S.O. 817(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with section 3 and sub sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints officer mentioned in column (4) of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table in respect of Noticee mentioned in column (1) of the Table, for purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (2) therein, namely:-

TABLE

Name of the Noticee and Address	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
M/s Royal Canin India Pvt Ltd	(i) F.No. S/3-Misc-149/2022-23-CRC-II-ACC dated 04.07.2023 (ii) SCN No. 2456/2022-23/DC/Gr.1/1A/NS-1/CAC/JNCH dated 14.03.2023	(i) Assistant Commissioner of Customs, CRC-II, Refund, ACC, Mumbai (ii) Deputy Commissioner of Customs, Group-1/1A, JNCH	Deputy Commissioner, Group I/IA, JNCH, Nhava Sheva

[F.No. 466/62/2023-Cus.V]

MEGHA BANSAL, Under Secy.